रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215303
CG-DL-E-10012020-215303

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941
No. 22]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/PAUSHA 20, 1941

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 24(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, महानिदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, महानिदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, महानिदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
महानिदेशक, लोक निर्माण विभाग	1* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-17 (2,25,000 रु.)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति :

(i) उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में विशेष महानिदेशक (सिविल) या विशेष महानिदेशक (वैद्युत और मैकेनिकल) या विशेष महानिदेशक (आर्किटेक्चर) + (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16) सहित उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में विशेष महानिदेशक (सिविल) या विशेष महानिदेशक (वैद्युत और मैकेनिकल) या विशेष महानिदेशक (आर्किटेक्चर) + (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16) में कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा की हो,

जिसके न हो सकने पर

(ii) विशेष महानिदेशक (सिविल) या विशेष महानिदेशक (वैद्युत और मैकेनिकल) या विशेष महानिदेशक (आर्किटेक्चर), जिन्होंने उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड धन वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 16) में विशेष महानिदेशक (सिविल) या विशेष महानिदेशक (वैद्युत और मैकेनिकल) या विशेष महानिदेशक (आर्किटेक्चर) के ग्रेड में और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड धन वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स का स्तर 15) में अपर महानिदेशक (सिविल) या अपर महानिदेशक (वैद्युत और मैकेनिकल) या अपर महानिदेशक (आर्किटेक्चर) के ग्रेड में दो वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की है,

पूर्वोक्त दो वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा में से कम से कम छह मास की नियमित सेवा विशेष महानिदेशक (सिविल) या विशेष महानिदेशक (वैद्युत और मैकेनिकल) या विशेष महानिदेशक (आर्किटेक्चर) के ग्रेड में होगी।

टिप्पण 1 : ग्रेड में प्रोन्नति पर विचार निम्नलिखित क्रम में तैयार सामान्य पात्रता सूची के आधार पर किया जाएगा :

(क) ऊपर प्रवर्ग (i) की दशा में अधिकारियों द्वारा विशेष महानिदेशक (सिविल) या विशेष महानिदेशक (वैद्युत और मैकेनिकल) या विशेष महानिदेशक (आर्किटेक्चर) के ग्रेड में एक वर्ष की विहित नियमित सेवा को पूरा करने की तारीख को निर्दिष्ट करते हुए ;

(ख) ऊपर प्रवर्ग (ii) की दशा में अधिकारियों द्वारा विशेष महानिदेशक (सिविल) या विशेष महानिदेशक (वैद्युत और मैकेनिकल) या विशेष महानिदेशक (आर्किटेक्चर) के ग्रेड में छह मास की विहित नियमित सेवा को पूरा करने की तारीख को निर्दिष्ट करते हुए ;

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर प्रवर्ग में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 3 : किसी रिक्ति के कारित होने की तारीख को, जिसके लिए चयन किया जा रहा है, एक वर्ष से कम अवशिष्ट सेवा रखने वाले व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) : 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय – सदस्य 3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 5/4/2019-एसएंडडी/ईडब्ल्यू-I]

वेद प्रकाश, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 496(अ) तारीख 25 मई, 2018 प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 526(अ), तारीख 5 जून, 2018 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2020

G.S.R. 24(E).—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Housing and Urban Affairs, Central Public Works Department, Director General, (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2018, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Central Public Works Department, Director General, (Group 'A' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Housing and Urban Affairs, Central Public Works Department, Director General, (Group 'A' post), Recruitment Rules, 2018, for the schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director General, CPWD	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted, Group A	Level 17 in the pay matrix (Rs. 225000/-)	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composititION.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
"Promotion: (i) Special Director General (Civil) or Special Director General (Electrical and Mechanical) or Special Director General (Architecture) in the Higher Administrative Grade plus scale (Level 16 of pay matrix) with at least one year regular service in the grade of Special Director General (Civil) or Special Director General (Electrical and Mechanical) or Special Director General (Architecture) in Higher Administrative Grade plus scale (Level 16 of pay matrix), failing which by (ii) Special Director General (Civil) or Special Director General (Electrical and Mechanical) or Special Director General (Architecture) with two years combined regular service in the grade of Special Director General (Civil) or Special Director General (Electrical and Mechanical) or Special Director General (Architecture) in the Higher Administrative Grade plus scale (Level 16 of pay matrix) and Additional Director General (Civil) or Additional Director General (Electrical and Mechanical) or Additional Director General (Architecture) in the Higher Administrative Grade Scale (Level 15 of pay matrix). Out of the above two years of combined regular service, there will be at least six months of regular service in the Grade of Special Director General (Civil) or Special Director General (Electrical and Mechanical) or Special Director General (Architecture). **Note 1:** Promotion to the grade shall be considered based on a common eligibility list prepared in the following order: (A) with reference to the date of completion by officers of the prescribed regular service of one	**Departmental Promotion Committee (for promotion):** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs– Member; 3. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

year in the grade of Special Director General (Civil) or Special Director General (Electrical and Mechanical) or Special Director General (Architecture) in the case of category (i) above;		
(B) with reference to the date of completion by officers of six months of regular service in the grade of Special Director General (Civil) or Special Director General (Electrical and Mechanical) or Special Director General (Architecture) in the case of category (ii) above;		
Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
Note 3: No person with less than one year residual service on the date of occurrence of vacancy for which selection is being made shall be eligible for consideration".		

[F. No. 5/4/2019-S&D/EW-I]

VED PRAKASH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 496(E) dated the 25th May, 2018 and subsequently amended *vide* Number G.S.R. 526(E), dated the 5th June, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.10 18:02:51 +05'30'